

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

क्रमांक : लेखा / नव.न्याया. / 23-24 / 415

दिनांक : 30.11.2023

निविदा सूचना संख्या-4

दिनांक 07.12.2023 को दोपहर 1.00 बजे तक इस न्यायाक्षेत्र के चार नवसृजित न्यायालयों के लिए प्रतिष्ठित ब्रॉण्ड के वातानुकुलित संयंत्र हेतु अधिकृत निर्माताओं/डीलरों/विक्रेताओं से मुहरबंद लिफाफे में निविदाएँ आमत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाईट <https://sppp.rajasthan.gov.in>, <https://districts.ecourts.gov.in/udaipur> पर देखी जा सकती है। खरीद का अनुमानित मूल्य 1.80 लाख रुपये है।

UBN No.

✓
अध्यक्ष, काय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
उदयपुर

क्रमांक : लेखा / नव.न्याया. / 23-24 / 417

दिनांक : 30.11.2023

प्रतिलिपियां निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर।
3. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-4, उदयपुर।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-2, मावली, उदयपुर।
5. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.ए. क्रम संख्या-8, उदयपुर।
6. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.ए., मावली, उदयपुर।
7. सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को न्यायालय पोर्टल एवं SPPP पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
8. संपादक राजस्थान पत्रिका उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को राजस्थान पत्रिका के उदयपुर संस्करण में न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर डी.आई.पी.आर. द्वारा अनुमोदित दर अनुसार बिल दो प्रति में प्रस्तुत करें।

✓
अध्यक्ष, काय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
उदयपुर

निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 200/-

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

तकनीकी निविदा प्रपत्र (वातानुकूलित संयंत्र हेतु)

1. निविदादाता / फर्म का नाम मय पता

2. फोन / मोबाईल नम्बर

3. निविदा जिसके लिए दी गई Purchase of A.C. for 4 New Courts

4. पेन नम्बर

5. जीएसटी नम्बर

6. निविदा की अधिकतम राशि कुल 1,80,000/- (रु. 45,000/- प्रति न्यायालय)

7. प्रतिभूति राशि रुपये 3,600/-

डी.डी.सं दिनांक

8. निविदा प्रपत्र बेचने की अन्तिम दिनांक 07.12.2023 को 12.00 बजे तक

9. निविदा प्रस्ताव प्राप्ति की दिनांक 07.12.2023 को 1.00 बजे तक

10. निविदा प्रस्ताव खोलने की दिनांक 07.12.2023 को 4.00 बजे

मैं/ हम जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर द्वारा जारी की गई सीमित निविदा में वर्णित सभी शर्तों तथा संलग्न शीट में दी गई सूचना के अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाने के प्रमाण-पत्र में हमने हस्ताक्षर कर दिया है)

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....

✓

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

वित्तीय निविदा दर प्रपत्र (एयर कण्डशनर हेतु)

S. N.	Name of Item	Configuration	No of item per Court	Rate per item in RS.(Inclued all taxes)
01	Split A.C.	Reputed Brand Split Inverter AC 1.5 Ton 3 Star and Above with Installation and Stablizer	01	

WARRANTY: onsite warrenty on all items.

NOTE :- All the above specification should be read as " Equivalent or Higher".
दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में प्रस्तुत करें। ओवरराइटिंग एवं कटिंग है लघुहस्ताक्षर जरूर करें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म की सील

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके मैं/हम वास्तविक व्यापार कर्ता/अधिकृत थोक विक्रेता एवं उत्पादनकर्ता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सम्पहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम.....

(जो लागू हो उसे **V** करें)
(नोटेरी से प्रमाणित करवाया जाए)

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर

निविदा की शर्तें

निविदादाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए। इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा प्रस्तावक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इस निविदा के क्रम में किए जाने वाले क्रय पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे। उक्त सामग्री का आपूर्ति के संबंध में दर प्रस्तुत करते समय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 46 के अनुसार दर प्रस्तुत करने से पूर्व क्य समिति से विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेवे तथा दर प्रस्तुत करते समय सामग्री का तकनीकी विवरण लिखा जावें जिसके आधार पर दर व किस्म में तुलना की जा सकें।

निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्तें भी कार्यालय समय में इस कार्यालय की स्थापना शाखा में देखी जा सकती है।

1. निविदा के मुहरबन्द लिफाफे में अंकित दस्तावेज तथा निविदा को निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न सामान्य शर्तों के प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र हस्ताक्षरित एवं फर्म की मुहर अंकित किये जाकर संलग्न करने हैं।
2. निविदा पूर्ण रूप से भरी जाकर मुहरबन्द लिफाफे में प्रेषित की जानी है। लिफाफे पर “ए.सी. के लिए निविदा” स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये। निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।
3. प्राप्त हुई निविदाओं को दिनांक 07.12.2023 को सांय 4 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जावेगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदा के साथ निविदा प्रपत्र के अनुरूप दो प्रतिशत राशि का बैंकर्स चेक/डीडी जो कि जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर के नाम से देय हो, प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा, उसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. आदेशित सामग्री की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि के सम्बंध में समस्त अधिकार क्रय समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय, उदयपुर के पास सुरक्षित होंगे।
6. निविदा में वर्णित प्रत्येक आईटम की एकल दरें ही मान्य होंगी तथा एक से अधिक दरें देने पर सम्बंधित आईटम की दर अस्वीकार्य होंगी।
7. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में जीएसटी एवं अन्य समस्त कर एवं समस्त प्रकार के प्रभार सम्मिलित होंगे।
8. निविदा प्रपत्र स्याही से या टंकन से भरा जाएगा। पैसिल से भरी हुई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. दरें नियत स्थान पर अंको एवं शब्दों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई काट-छाँट एवं उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी आवश्यक हो तो वे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
10. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में अंकों एवं शब्दों में वर्णित दरों में अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर होने की स्थिति में जो भी दर कम होगी उस पर विचार किया जाएगा।

11. माल की आपूर्ति / फिक्सिंग कय आदेश के अनुसार इस न्यायाक्षेत्र के नवसृजित न्यायालय – विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.ए. कम संख्या-8, उदयपुर, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम संख्या-4, उदयपुर, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कम संख्या-2, मावली जिला उदयपुर तथा विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.ए., मावली जिला उदयपुर में स्वयं के खर्चे पर की जानी होगी।
12. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाड़े (सब-लैट) पर नहीं देगा।
13. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की प्रयोगशाला/तकनीकी जांच आवश्यक है तो आपूर्ति के साथ जांच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। आपूर्ति के पश्चात् कोई गुणवत्ता सम्बंधी विपरीत स्थिति पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी।
14. सफल निविदा दाता द्वारा सप्लाई की गई सामग्री का विभाग किसी भी समय सामग्री की निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार सरकारी प्रयोगशाला से जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि सामग्री निविदा के स्पेसीफिकेशन अनुसार पाई गई तो जांच के परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जायंगे। अन्यथा उक्त प्रभार निविदा दाता को वहन करने होंगे।
15. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं पाई जाएगी, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा तथा निविदा दाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री को क्रेता अधिकारी द्वारा **नियत समय (1 माह)** के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।
16. निविदा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना नोटिस दिए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की शर्तों के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निर्णित करने के संबंध में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर का निर्णय अंतिम होगा जो निविदा दाता को बाध्य होगा।
17. निविदा दाता उचित पैकिंग/फिक्सिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि, क्षति, कमी होने के मामले में निविदा दाता उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
18. आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश के अनुसार निर्धारित समयावधि में की जानी होगी। सामग्री की सप्लाई आदेशानुसार या समय पर नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसका उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।
19. यदि क्रेताधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा में कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदा दाता किसी क्षति पूर्ति का क्लेम करने के अधिकृत नहीं होगा।
20. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :– सफल निविदा दाता को आदेश के प्राप्त होने के 5 दिन की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा अनुमानित मूल्य की 5 प्रतिशत राशि (निविदा के साथ प्रस्तुत अमानत राशि को सम्मिलित करते हुए) प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करानी होगी। प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निविदा शर्तों के उल्लंघन करने पर सम्पहृत की जा सकेगी।

2

21. भुगतान :—
- (1) राशि का भुगतान दिए गए आदेश के अनुरूप सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में प्राप्त होने पर दिया जाएगा।
 - (2) भुगतान निविदा दाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किये जाएँगे।
 - (3) नियमानुसार देय कर की कटौती भुगतान के समय स्त्रोत पर की जाएगी।
 - (4) निविदादाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होंगे।
22. परिनिर्धारित क्षति (**Liquidated Damages**) के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी, जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :—
- 1(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।
 - (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।
 - 2 परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
 3. यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी अवधि हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न किये सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
 4. यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदा दाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर के विवेक पर नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
23. वसूलियां :—परिनिर्धारित नुकसानी, कम प्रदाय, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलों में रोकी जाएगी। कम सप्लाई, रद्द किये गये माल की मात्रा की राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (**Liquidated Damages**) के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जा सकेगी।
24. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाए, किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदा दाता ने निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या

✓

अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक से अधिक सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

25. निविदा दाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
- (क) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रामाणित प्रति।
- (ख) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीकृत हो तो पंजीकृत संख्या एवं उसका वर्ष सहित दस्तावेजों की अभिप्रामाणित प्रति।
- (ग) कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
- (घ) आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन नं.) कार्ड एवं जीएसटी में पंजीयन का प्रमाण पत्र की प्रति।
- (ङ) निविदादाता का निर्माता /अधिकृत विक्रेता/डीलर होने के प्रमाण पत्र की प्रति।
26. यदि संविदा के निर्वचन आशय का संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा एवं इसमें अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का ही होगा, जो कि निविदादाता को मान्य होगा।
27. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार को निविदा दाताओं द्वारा उदयपुर न्यायिक क्षेत्र में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी।
29. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम और राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान यथास्थान लागू होंगे।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम.....

मोबाइल नं.....

~~~~~

## **Certificate Of Conformity /No Deviation (To be filled by the Bidder)**

To,

The Chairman,  
Purchase committee,  
District & Session Court, Udaipur

NIB: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

### **Certificate**

This is to certify that, the specification of Furniture items which/we have mentioned in the Technical bid, and which it we shall supply if I/We am / are awarded with me work, are in conformity with the minimum specification of the Tender/bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specification.

Also, I/We have thoroughly read the tender/bidding document and by signing this certificate. We hereby submit our token of acceptance to all tender terms & conditions without any deviations.

I/We also certify that the price I/We have quoted is inclusive of all cost factors involved in the net-to-end implementation and executing of the project, to meet the disered standards set out in the Tender/bidding document.

Thanking You

Signature

Name of the Bidder :

Authorized Signatory :

Seal of the Organization

Place:

Date:

A handwritten signature consisting of a stylized 'V' shape above a diagonal line.

**Bidder's Authorization Certificate (To be filled by the Bidder)**

To,

The Chairman,  
Purchase Committee,  
District & Session Court, Udaipur

Sir,

If I/We .....(Name/Designation) hereby declare/certify that..... (Name/Designation) is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company/firm in dealing with Tender/NIB no.....Date:.....

He/She is also authorized to attend meeting & submit technical & commercial information/Classification as may be required by you in the course of processing the BID for the purpose of validation his/her verified signatures are as under.

Thanking you,

Verified

Signature

Name of the Bidder :

Authorized Signatory :

Seal of the Organization

Place :

Date :

A handwritten signature consisting of two intersecting curved lines forming a stylized 'X' or checkmark shape.

**Declaration By The Bidder On Non Judicial RS 10/- Stamp Paper (To be filled by the Bidder)**

To,

The Chairman,  
Purchase Committee,  
District & Session Court, Udaipur

Sir,

In response to the ref. NIB no.....Date.....  
Dated..... Purchase of Furniture items, as an owner/Partner/Director/Auth. Sign of ..... I we hereby declare that presently our Company/Firm ..... at the time of bidding :-

- 1- Possesses the necessary professional, technical, financial and managerial resources and commence required by the bidding document issued by the procuring Entity.
- 2- Having fulfilled my/our obligation to pay such of the taxed payable to the Union and the State Government or any local authority as specified into him Bidding document.
- 3- Is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/Central Government/PSU.UI.
- 4- Does not have any previos transgressions with any entity in India or any other country during last three years.
- 5- Does not have any debarment by any other procuting Entity.
- 6- Is not insolvent in receivership, bankrupt or being wood up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
- 7- Does not have, and our directors and officers not have convicted of any criminal offence relatedto their professional conduct or the making of false statements of misrepresentative as to the qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to department proceeding.
- 8- Does not have a conflict of interest as mentioned in the bidding document which materially affects the fair competition.
- 9- Will comply with the code or integrity as specified in the bidding document.

If this declaration of found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules there to prescribed by Gore, My/Our security may be forfeited in full and our bid, to the extext accepted, may be cancelled.

Signature

Name of the Bidder :

Authorized Signatory :

Seal of the Organization

Place:

Date:

